न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प बायतु
पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 30/2017

अपीलांट

1. भंवरलाल पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी लापला तहसील बायतु व जिला बाड़मेर
2. जुगताराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी लापला तहसील बायतु व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. गंगाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी लापला तहसील बायतु जिला बाड़मेर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 30.03.2017 द्वारा तहसीलदार बायतु

उपस्थित– 1. अपीलांटस उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 01 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से ना.तह. बायतु उप0

<u>आदेश</u> दिनांक 09.06.2017

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.11.2016 को जन कल्याण शिविर कोसरिया में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने उसकी पैतृक भूमि ग्राम लापला के खसरा नंबर 751/538 रकबा 46.06 बीघा आना दर्शाते हुए, उसके पूर्व में आने–जाने के लिए कच्चे रास्ते को सेढ़ा पड़ौसियों द्वारा अवरूद्व किये जाने पर रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया। तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाई एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251 राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 मार्ग तथा अन्य निजी सुखाचारो के अधिकार के तहत प्रकरण संख्या 01/2016 दर्ज किया जाकर कदीमी रास्ते को अवरूद्व नहीं करने का

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश दिनांक 30.3.2017 पारित किया गया, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व केम्प कोर्ट बायतु में पेश हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारो को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 उपस्थित।

3. अपीलांटस द्वारा कथ्न किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांटस की गैर मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर मनमाने तरीके से रिपोर्ट तैयार करवाई गई एवं उसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2017 पारित किया गया। अपीलांटस द्वारा किसी प्रकार कदीमी रास्ता अवरूद्व नहीं किया गया है। अपीलांटस को पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर, एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2017 पारित किया गया, जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. रेस्पोडेंटस संख्या 01 का कथन हैं कि अपीलांटस द्वारा कदीमी रास्ते को बन्द करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु के समक्ष धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके निर्णय दिनांक 30.3.2017 से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट हैं कि कदीमी रास्ता चल रहा था, उसे अपीलांटस द्वारा रोके जाने की कार्यवाही की गई। धारा 251 में कदीमी रास्ता जो चल रहा है, उसे खोलने का अधिकार तहसीलदार को निहित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांटस की अपील खारिज की जायें।

5. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस 01 के कथनो पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.3.2017 के विरूद्व पेश की है। रेस्पोडेंट संख्या 01 की खातेदारी भूमि मौजा लापला के खसरा नंबर 751/538 रकबा 46.06 बीघा आई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने तहसीलदार बायतु को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अपीलांटस द्वारा बन्द किये गये कदीबी रास्ते को खुलवाने

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

का निवेदन किये जाने पर तहसीलदार बायतु द्वारा प्रकरण संख्या 01/2016 दर्ज किया गया। तथा प्रकरण में निर्धारित विधिक कार्यवाही अनुसार समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश 30.3.2017 पारित किया गया। अपीलाटंस अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2017 में कोई विधिक त्रुटि साबित नहीं कर पाये, लिहाजा अपील खारिज करने योग्य है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.3.2017 को यथावत रखा जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)